बिहार सरकार

बिहार सरकार
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय
(समाज कल्याण विभाग)

पंत भवन, द्वितीय तल, बेली रोड, बिहार, पटना–800001,
फोन नं0 0612–2200125 ई-मेल–diremppd-bih@nic.in

"अभिरूचि की अभिव्यक्ति" के आमंत्रण की सूचना

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना अंतर्गत मानसिक रूप से विक्षिप्त/रूग्ण महिलाओं एवं बालिकाओं तथा पुरूषों की समुचित देख–रेख, संरक्षण, विकित्सकीय देखभाल, काउन्सेलिंग एवं शिक्षण–प्रशिक्षण के उद्देश्य से पुनर्वासित करने हेतु **50–50 महिला/बालिका आवासिनों की क्षमता वाले पटना जिले में 03 (तीन) एवं पूर्णिया जिले में 01 (एक) तथा 50 पुरूष आवासिनों की क्षमता वाले गयाजी जिले में 01 (एक) विशेष आवासीय गृह "आसरा"** के संचालन हेतु योग्य एवं अनुभवी गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं से e-Proc2 के माध्यम से अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है। अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्नलिखित तालिका के अनुसार हैं :–

क्र०	विवरण	दिनांक
1	अभिरूचि की अभिव्यक्ति संख्या एवं दिनांक	**971/06.10.2026**
2	'समाज कल्याण विभाग' की वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/socialwelfare/CitizenHome.html पर अभिरूचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की सूचना की उपलब्धता की तिथि	**12.10.2026**
3	e-Proc2 की वेबसाईट https://eproc2.bihar.gov.in पर अभिरूचि की अभिव्यक्ति की सूचना एवं दस्तावेज की उपलब्धता की तिथि	**12.10.2026**
4	अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्रारंभ करने की तिथि	**12.10.2026**
5	Pre-Bid queries प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	**22.10.2026 / 03:00 pm**
6	Pre-Bid बैठक की तिथि एवं समय	**23.10.2026 / 03:00 pm**
7	Non-Refundable निविदा/अभिरूचि की अभिव्यक्ति Processing शुल्क (TPF)	e-Proc2 Portal के अनुसार
8	अभिरूचि की अभिव्यक्ति जमा करने की अंतिम तिथि	**01.11.2026 / 11:00 pm**
9	अभिरूचि की अभिव्यक्ति खोलने की तिथि एवं समय	**04.11.2026 / 11:00 am**

अभिरूचि की अभिव्यक्ति से संबंधित सूचना विभागीय वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/socialwelfare/CitizenHome.html एवं e-proc-2 की वेबसाईट https://eproc2.bihar.gov.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।

- दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग बिना कारण बताये प्रस्ताव/अभिरूचि की अभिव्यक्ति को किसी भी चरण में संशोधित करने अथवा पूर्णतः निरस्त करने का अधिकार सर्वथा सुरक्षित रखता है।

06/10/26

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना।

- **Instructions to the bidders**

- **Completeness of Response**

 - Bidders are advised to study all instructions forms, requirements and other information in the EOI documents carefully. Submission of the bid shall be deemed to have been done after careful study and examination of the EOI document with full understanding of its implications.
 - The response to this EOI should be full and complete in all respects. Failure to furnish all information required by the EOI documents or submission of a proposal not substantially responsive to this document will be at the Bidder's risk and may result in rejection of its Proposal.
 - The response to the EOI submitted at e-procurement Portal. Bids submitted by any other method shall be rejected.

- **EOI Proposal Preparation Costs & related issues**

 - The bidder is responsible for all costs incurred in connection with participation in this process, including, but not limited to, costs incurred in conduct of informative and other diligence activities, participation in meetings/discussion/presentations, preparation of proposal, in providing any additional information required by Directorate of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD) to facilitate the evaluation process.
 - DEPwD will in no case be responsible or liable for those costs, regardless of the conduct or outcome of the bidding process.

- **Other Terms and Conditions**

 - This EOI does not commit DEPwD to award a contract or to engage in negotiations.
 - Presentation by the qualified bidder will be reviewed by an evaluation committee of DEPwD and marks will be awarded by the committee based on the parameters mentioned in this document.

- **Pre-Bid Meeting**

 - DEPwD shall hold a pre-bid meeting with the prospective bidders, if required.

- **Responses to Pre-Proposal Queries and Issue of Corrigendum**

 - At any time prior to the last date for receipt of EOI, DEPwD may, for any reason, whether at its own initiative or in response to clarification requested by a prospective Bidder, modify the EOI Document by a corrigendum.
 - The Corrigendum (if any), or clarification to the queries from all bidders will be posted on the https://eproc2.bihar.gov.in.
 - Any such corrigendum shall be deemed to have been incorporated into this EOI.
 - In order to provide prospective Bidders reasonable time for taking the corrigendum into account or for any other reason, DEPwD may, at its discretion, extend the last date for the receipt of EOI Proposals.

- **Right to Terminate the Process**
 - DEPwD may terminate the EOI process at any time without assigning any reason. DEPwD makes no commitments, express or implied, that this process will result in a business transaction with anyone.
 - This EOI does not constitute an offer by DEPwD. The bidder's participation in this process may Result in short listing the eligible bidders.
- **Consortium**

 Consortium NOT ALLOWED
- **Submission of Responses**
 - The EOI shall be submitted online of **https://eproc2.bihar.gov.in**.
 - The e-tender submission module of e-tender portal **https://eproc2.bihar.gov.in** enables the Bidders to submit the proposal online against the EOI published by the DEPwD. Proposal Submission can be done only from the submission start date and time till the proposal submission end date and time given in the EOI. Bidders should start the Bid Submission process well in advance so that they can submit their proposal in time. The Bidders should submit their Bids considering the server time displayed in the e-tender portal. This server time is the time by which the Bid submission activity will be allowed till the permissible time on the last/end data of submission indicated in the e-tender schedule. Once the Bid submission date and time is over, the Bidders cannot submit their e-tender. For delay in submission of e-tender due to any reasons, the Bidders shall only be held responsible. The Bidders have to follow the following instructions for submission of their e-tender:

 For participating in e-tender through the e-tendering system, it is necessary for the Bidders to be the registered users of the e-tender portal **https://eproc2.bihar.gov.in**. The Bidders may contact Beltron office, Patna at the contact details available on e-tender portal for details regarding registration.

 For support related to e-tendering process, Bidders may contact at mentioned below:

 Toll Free No. 1800 572 6571,

 Email Id: - eproc2support@bihar.gov.in

"अभिरूचि की अभिव्यक्ति" आमंत्रण के लिए प्रपत्र

- **संस्था का नाम एवं पता :–**
- **संलग्न दस्तावेजों की सूची :–**

क्र0	विवरण	संलग्न (हॉ/नहीं)	पृष्ठ संख्या
1	संस्था का सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 से निबंधन/पंजीकरण का प्रमाण–पत्र		
2	संस्था का दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–51 के तहत राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय से निबंधन का नवीनतम प्रमाण–पत्र		
3	संस्था का भारत सरकार के नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर निबंधन का प्रमाण–पत्र		
4	संस्था का पूर्व में दिव्यांगजनों हेतु विशेष आवासीय गृह/विद्यालय/केन्द्र संचालन का कार्यानुभव		
5	संस्था के Memorandum of Association की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति। साथ ही संस्था के Governing Body के सदस्यों की सूची/विवरणी (नाम, पदनाम, पता आदि सहित)		
6	अंकेक्षण प्रतिवेदन (विगत तीन वित्तीय वर्षो का रू0 में जिसमें संस्था का प्रति वित्तीय वर्ष औसत करोबार न्यूनतम रू0 01 करोड़ या उससे अधिक होना चाहिए)		
7	आयकर रिटर्न (विगत तीन वित्तीय वर्षो का)		
8	वार्षिक प्रतिवेदन (विगत तीन वित्तीय वर्षो का)		
9	संस्था का पैन कार्ड		
10	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के तहत निबंधन प्रमाण–पत्र		
11	केन्द्र/राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान की विवरणी एवं उसके व्यय से संबंधित प्रमाण–पत्र		
12	दिव्यांगता प्रक्षेत्र में (विशेष रूप से मानसिक दिव्यांगता क्षेत्र में) कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र		
13	आधारभूत संरचना यथा मकान/परिसर का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विवरणी। किराये के मकान की स्थिति में मकान का एकरारनामा/किरायानामा की छायाप्रति।		
14	प्रशिक्षित कर्मी विशेष तौर पर अधीक्षक, कॉउन्सलर, परिवीक्षा अधिकारी, विशेष प्रशिक्षक, ऑक्यूपेशनल थिरेपिस्ट सहित अन्य महत्वपूर्ण कर्मियों की सूची।		
15	संस्था को न्यायालय/सरकार द्वारा बेदखल/ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया है, इस आशय का नोटरी द्वारा निर्गत शपथ–पत्र (1000/–रूपये के स्टाम्प पेपर पर)		
16	केन्द्र/राज्य सरकार/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय एवं अन्य गैर सरकारी संस्थाओं आदि से प्राप्त पुरस्कार/प्रशस्ति पत्र		

आवेदक का हस्ताक्षर

(1) परिचय :– दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना अंतर्गत दिव्यांगजनों के कल्याण से संबंधित सभी नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता है। इस क्रम में योजना मार्गदर्शिका ज्ञापांक–622 दिनांक–22.03.2013, विभागीय संकल्प सं0–2339 दिनांक–30.11.17, विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–56 दिनांक–06.09.2019 तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक–835 दिनांक–08.09.2026 के अलोक में मानसिक रूप से विक्षिप्त/रूग्ण महिलाओं एवं बालिकाओं तथा पुरूषों की समुचित देख–रेख, संरक्षण, चिकित्सकीय देखभाल, काउन्सलिंग एवं शिक्षण–प्रशिक्षण के उद्देश्य से पुनर्वासित करने हेतु 50–50 महिला/बालिका आवासिनों की क्षमता वाले पटना जिले में 03 (तीन) एवं पूर्णिया जिले में 01 (एक) तथा 50 पुरूष आवासीनों की क्षमता वाले गयाजी जिले में 01 विशेष आवासीय गृह **"आसरा"** का संचालन गैर सरकारी संस्था माध्यम से कराया जाना है, जिसकी विवरणी निम्नवत हैः–

क्र0	संबंधित जिला	आसरा गृह	वर्तमान पता	लाभुकों की श्रेणी	क्षमता
1.	पटना	आसरा गृह (Unit-1)	इंद्रपुरी, राजीव नगर, पटना।	महिला	50
2.		आसरा गृह (Unit-2)	केशरी नगर, पटना।	महिला	50
3.		आसरा गृह (Unit-3)	तेज प्रताप नगर, पटना।	महिला	50
4.	पूर्णिया	आसरा गृह (Unit-4)	नवप्रस्तावित	महिला	50
5.	गयाजी	आसरा गृह (Unit-5)	नवप्रस्तावित	पुरूष	50

(2) अभिरूचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण :– दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार, राज्य के **पटना, गयाजी तथा पूर्णिया** जिले में उपरोक्त तालिका के अनुसार मानसिक रूप से विक्षिप्त/रूग्ण महिलाओं एवं बालिकाओं तथा पुरूषों के आवासन हेतु किराये के भवन में गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं से कुल 05 (पांच) विशेष आवासीय गृह **"आसरा"** के संचालन हेतु e-Proc2 के माध्यम से अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है। **चयनित संस्थाओं में से किसी एक संस्था को अधिकतम 02 गृह संचालन का दायित्व ही दिया जाएगा।**

(3) वांछित अर्हता :–

i. **संस्था का निबंधन/पंजीकरण प्रमाण पत्र :–**
 (क) संस्था का सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत निबधित/पंजीकृत होना चाहिए।
 (ख) संस्था दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा–51 के तहत राज्य आयुक्त निःशक्ता कार्यालय से निबंधित होनी चाहिए।
 (ग) संस्था भारत सरकार के नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर निबंधित होनी चाहिए।

ii. **पूर्व में गृह/विशेष आवासीय विद्यालय संचालन का कार्यानुभव :–** आवेदक संस्था के पास अनिवार्य रूप से दिव्यांगजनों के लिए गृह/विशेष आवासीय विद्यालय संचालन का अनुभव हो तथा जिसे सरकारी/अर्द्ध–सरकारी संगठन/स्वायत्त निकायों/कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व द्वारा वित्त पोषण प्राप्त हो।

iii. संस्था को अनुभव संबंधित प्रमाण–पत्र (जिसमें गृह/विशेष विद्यालय का संचालन अवधि एवं वर्षवार लाभुकों की संख्या आदि स्पष्ट हो) संलग्न करना होगा। संस्था वित्तीय रूप से सशक्त होनी चाहिए ताकि अनुदान के विलम्ब से भुगतान की स्थिति में भी गृह का भलीभाँति संचालन कर सके।

iv. **अंकेक्षण प्रतिवेदन :–** संस्था को पिछले तीन वित्तीय वर्षों यथा वित्तीय वर्ष–2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 का चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा सत्यापित UDIN नंबर सहित अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न करना होगा, जिसमें संस्था का प्रति वित्तीय वर्ष औसत कारोबार न्यूनतम रू0 01 (एक) करोड़ या उससे अधिक का होना चाहिए।

v. **आयकर रिटर्न्स :–** संस्था को विगत तीन वित्तीय वर्षों यथा वित्तीय वर्ष–2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 के आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करनी होगी।

vi. **वार्षिक प्रतिवेदन** :– संस्था को पिछले तीन वित्तीय वर्षों यथा वित्तीय वर्ष–2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 का वार्षिक प्रतिवेदन संलग्न करना होगा।

vii. **पैन कार्ड** :– पैन कार्ड, जो संस्था के नाम से हो, संलग्न करना होगा।

viii. **12 (A) निबंधन प्रमाण–पत्र** :– आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12(A) के तहत निबंधन प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

ix. **आधारभूत संरचना**:– संस्था के पास आधारभूत संरचना के रूप में मकान (अपना अथवा किराये का) उपलब्ध हो। अपना भवन/मकान होने की स्थिति में प्राथमिकता दी जा सकती है। मकान दिव्यांगजनों हेतु बाधामुक्त (Barrier Free) होना चाहिए एवं न्यूनतम 9000 वर्गफीट क्षेत्रफल में फैला होना चाहिए। किराये के मकान की स्थिति में मकान का एकरारनामा/किरायानामा की प्रति आवेदन के साथ संलग्न कर भेजा जाना होगा। संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये मकान का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विवरणी संलग्न करना आवश्यक होगा।

x. विगत वर्षो में केन्द्र/राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान को प्राथमिकता दी जायेगी। इस संबंध में पूर्व में प्राप्त अनुदान की विवरणी उपलब्ध कराना होगा, जो संस्थान द्वारा सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से निर्गत हो।

xi. **प्रशिक्षित कर्मी** :– संस्था के पास प्रशिक्षित कर्मी विशेष तौर पर अधीक्षक, कॉउन्सलर, परिवीक्षा अधिकारी, विशेष प्रशिक्षक, ऑक्यूपेशनल थिरेपिस्ट आदि **अनुसूची–1** में वांछित योग्यता के अनुरूप निर्धारित संख्या में उपलब्ध हों तथा निर्धारित मापदडों के अनुरूप प्रशिक्षित होने चाहिए।

xii. **नोटरी द्वारा शपथ पत्र (1000/–रूपये के स्टाम्प पेपर पर)** :– संस्था को न्यायालय/सरकार द्वारा बेदखल/ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया है, इस आशय का शपथ पत्र देना होगा। शपथ–पत्र विज्ञापन प्रकाशन के बाद की तिथि का होना चाहिए।

नोट :– उपरोक्त कंडिका– i से xii में उल्लिखित दस्तावेजों को संलग्न करना अनिवार्य है।

(4) सामान्य अनुदेश :–

i. **प्रत्येक संस्था को 05 (पांच) आसरा गृह के संचालन हेतु अलग–अलग आवेदन करना होगा।**

ii. पिछले तीन वर्षों में यदि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कोष (CSR Fund) एवं अन्य बाह्य स्रोतों से संस्था द्वारा बैंक खाता में प्राप्त की गयी राशि एवं संचालित गृहों/विशेष विद्यालयों में उक्त राशि के व्यय से संबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना वांछित है।

iii. वैसे संस्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके पास Counselling facilities, Health Tie-up, Vocational Training, Career Counselling आदि के साथ–साथ आवासितों के Hobbies Development एवं Sports Facilities की सुविधा उपलब्ध हो।

iv. पुनर्वासित लाभुकों का नियमित अनुश्रवण हो ताकि वे पुनः अलगाव अथवा निराश्रित जीवन जीने के लिए बाध्य न हो।

v. मानसिक दिव्यांगता के क्षेत्र में विशेष अनुभव प्राप्त संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। इससे संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

vi. गृह संचालन एवं आवासित लाभुकों के लिए ठोस कार्य योजना वाले संस्था को प्राथमिकता दी जाएगी।

vii. चयनित संस्था के साथ प्रथम अनुबंध की अवधि योजना मार्गदर्शिका के आलोक में 11 (ग्यारह) माह के लिए होगी। कार्य संतोषजनक रहने पर संस्था के अवधि विस्तार के संबंध में विभाग द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने/गृह संचालन के दौरान गंभीर आरोप अथवा प्राप्त शिकायत की सत्यता सिद्ध होने की स्थिति में अनुबंध को नियमानुसार निर्धारित समय से पूर्व भी निरस्त किया जा सकता है। साथ ही इस संबंध में

विभाग द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय एवं समय–समय पर किये गये आवश्यक संशोधन भी मान्य होंगे।

viii. अभिरूचि की अभिव्यक्ति के साथ समर्पित किये जाने वाले सभी वांछित दस्तावेज, स्वच्छ एवं स्पष्ट मुद्रित होने चाहिए तथा यह व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा मुहर सहित स्वहस्ताक्षरित (जहाँ संशोधन हो सहित) होगा; जो संस्था के प्राधिकार द्वारा अभिरूचि की अभिव्यक्ति समर्पित करने हेतु अधिकृत होंगे। यदि संस्था प्राधिकार स्वयं अपने हस्ताक्षर से अभिरूचि की अभिव्यक्ति समर्पित नहीं कर किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के लिये प्राधिकार पत्र (Authorization Letter) संलग्न करना होगा। उपरोक्त कंडिका–3 में उद्धृत सभी दस्तावेजों से संबंधित संलग्न चेकलिस्ट पूर्ण करते हुए इन दस्तावेजों में वांछित सूचनाओं को उल्लेखित किया जाय। सभी दस्तावेजों को अनुक्रमवार रखने तथा Indexing करना अनिवार्य होगा।

ix. मानसिक रूप से विक्षिप्त/रूग्ण महिलाओं एवं बालिकाओं तथा पुरूषों हेतु विशेष आवासीय गृह **"आसरा"** के संचालन की अनुमति विभागीय स्तर से बंद होने अथवा इस योजना का हस्तांतरण अन्य किसी विभाग में होने की स्थिति में उक्त योजनान्तर्गत चयनित संस्थाओं द्वारा आसरा गृह के संचालनार्थ हस्ताक्षरित अनुबंध, योजना बंद अथवा हस्तांतरण की तिथि से स्वतः समाप्त माने जायेंगे।

x. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। यदि संस्था को इस निर्णय पर किसी प्रकार की आपत्ति है तो संस्था अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के समक्ष अपील कर सकती है। आसरा गृह से संबंधित सभी विवाद "पटना क्षेत्राधिकार" के अधीन होंगे।

xi. निर्धारित अर्हता पर सभी आवेदक संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन इस संबंध में गठित विभागीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

(5) चयनित संस्था द्वारा निम्न कार्य संपादित किये जायेंगे :–

i. योजना मार्गदर्शिका के अनुसार लाभार्थियों की पात्रता के आलोक में लाभुकों का आवासन सुनिश्चित करना। गृह में आवासित लाभुकों को आवासीय, भोजन, कपड़े एवं अन्य आवश्यक जरूरतों की पूर्ति करना। संस्था द्वारा निर्धारित मेन्यु और मात्रा के अनुसार सभी संवासिनों को गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। नए आवासिनों को गृह में प्रवेश के 24 घंटे के अंदर वस्त्र/प्रसाधन सामग्री उपलब्ध कराना।

ii. गृह में प्रवेश/नामांकन के दौरान आवासिनों/लाभुकों की स्क्रीनिंग करना। आवासिनों को चिकित्सक द्वारा नियमित स्वास्थ्य जाँच, चिकित्सा सेवा तथा आवश्यक दवाईयाँ प्रदान करना। संवासिनों के देखरेख के लिए चिकित्सा संस्थान, आवश्यक रेफरल सेवा केन्द्रों, सरकारी/विशेष संस्थानों, परिचारक, मेडिकल दुकानों, मानसिक चिकित्सक, उपचार देखभालकर्त्ता इत्यादि से प्रभावी नेटवर्किंग की स्थापना करना।

iii. चयनित संस्था गृह के आवासिनों के मनोरंजन से संबंधित सुविधाओं (यथा–टेलीविजन, प्रोजेक्टर, संगीत, नाटक एवं इन्डोर गेम्स इत्यादि गतिविधियों की व्यवस्था करेगी।

iv. गृह के कर्मियों को आवासिनों के साथ अच्छा व्यवहार करवाने के लिए संवेदनशील बनाना।

v. गृह संचालन हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण पंजियों/दस्तावेजों का संधारण किया जाना तथा निरीक्षण आदि के समय प्रस्तुत किया जाना।

vi. चयनित संस्था आसरा गृह में आवासित हुए सभी आवासिनों के प्रवेश की तिथि से पुनर्वास/छोड़े जाने/मृत्यु की तिथि तक की सभी जानकारी साक्ष्य के साथ संधारित करेगी।

vii. प्रत्येक महीने की पाँच तारीख को (विगत माह का) आसरा गृह की गतिविधियों के कम–से–कम 20 फोटो के साथ विहित प्रपत्र में मासिक प्रतिवेदन सॉफ्ट कॉपी ई–मेल के माध्यम से एवं हार्ड कॉपी डाक द्वारा/हाथों–हाथ सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध कराना होगा।

viii. गृह में कार्यरत कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य बाह्य व्यक्ति या समूह का बिना अनुमति के गृह परिसर में प्रवेश वर्जित होगा। गृह में प्रवेश करने वाले सभी आगंतुकों का संपूर्ण विवरण उद्देश्य के साथ आगंतुक पंजी में दर्ज करना अनिवार्य होगा।

ix. सभी आवश्यक कर्मी स्वस्थ, व्यवहार कुशल और अनुशासित होने चाहिए। संस्था आसरा गृह में तैनात कर्मियों/कर्मचारियों के आचरण तथा आवासितों के प्रति उनके दैनिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होंगे।

x. यदि आसरा गृह का कोई कर्मी अवकाश लेता है तो ऐसी स्थिति में चयनित संस्था वैकल्पिक व्यवस्था करेगी। संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि किसी विशेष कर्मी के अभाव में किसी भी स्थिति में संचालन में बाधा नहीं होनी चाहिए।

xi. चयनित संस्था आसरा गृह में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने हेतु जिम्मेवार होगी। आवासितों एवं कर्मचारियों के मध्य उत्पन्न किसी विवाद/प्रकरण/शोषण संबंधी मामलों के लिए तत्संबंधी कानूनी परिणामों हेतु उत्तरदायी होगी।

xii. आसरा गृह में आवासिनों के लापता/दुर्घटना होने अथवा उनकी मृत्यु की स्थिति में या किसी अन्य संबंधित मुद्दे में कानूनी प्रावधान के लिए चयनित संस्था पूरी तरह से उत्तरदायी होगी। इसके परिणामस्वरूप चयनित संस्था के अनुबंध को नियमानुसार रद्द करने और उसे काली सूची में डालने आदि की कारवाई की जा सकती है।

xiii. संस्था यथासंभव आवासिनों के परिवार का पता लगाने का प्रयास करेगी और परिवार के साथ पुनर्वासित करने हेतु सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं को पूर्ण करेगी। संस्था जीवन में किसी भी अवसर पर किसी प्रकार की हिंसा से प्रभावित आवासिनों/लाभुकों तथा उनके परिवारजनों की काउंसिलिंग करेगी तथा आवासिनों/लाभुकों को स्वतंत्र जीवन अपनाने हेतु प्रोत्साहित करेगी।

xiv. संस्था कानूनी प्रावधानों के अनुसार संकट/आपातकालीन स्थिति में आवासिनों की सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित करेगी।

xv. संस्था विभिन्न कानूनों और विनियमों, यथा–दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, 1999, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017, कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 या कोई अन्य कानून और केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालय/विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अन्य दिशा–निर्देश/अधिसूचना आदि का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगी।

xvi. संस्था द्वारा गृह संचालन हेतु संस्था को कार्य आवंटन होने के एक महीने के अंदर आसरा गृह के परियोजनार्थ अनुसूचित बैंक में बचत खाता खोलना अनिवार्य होगा। चयनित संस्था को प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की राशि को उसमें संधारित करना होगा। संस्था को नियमानुसार आयकर एवं अन्य संबंधित करों, वित्तीय प्रावधानों का पूर्णतया अनुपालन करना होगा तथा अंकेक्षण की अनुशंसा का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

xvii. आसरा गृह के संचालन के क्रम में किसी भी व्यक्ति/संगठन/समूह से प्राप्त दान (नकद/वस्तु) का संधारण आसरा गृह हेतु खोले गये बचत खाता/भंडार पंजी में किया जाएगा तथा इसकी सूचना अनिवार्य रूप से संबंधित प्राधिकार को देनी होगी।

xviii. संस्था दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय या संबंधित जिले के सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग तथा अन्य किसी प्राधिकृत द्वारा किए गए निरीक्षण से संबंधित सभी तरह के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना सुनिश्चित करेंगी।

xix. चयनित संस्था आसरा गृह के बैंक खाते में रू0 50,000/– (पचास हजार रूपये) का एक आपातकालीन निधि रखना सुनिश्चित करेगी। साथ ही, आपातकालीन मामलों के लिए गृह अधीक्षक या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि अपने पास हमेशा रू0 10,000/–(दस हजार रूपये) नकद उपलब्ध रखेंगे।

xx. इसके अतिरिक्त अन्य कार्य नियमानुसार/विभागीय निदेशानुसार एवं समय–समय पर निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में किये जायेगे। योजना संचालन के संदर्भ में वर्तमान मार्गदर्शिका/संकल्प/अधिसूचना आदि (संलग्न) में दिये गये निर्देशों में यदि भविष्य में

संशोधन किये जाते है, तब चयनित संस्थान को उक्त के आलोक में कार्रवाई/सेवा प्रदान करनी होगी।

(6) संस्था के चयन की प्रक्रिया :–

i. विभागीय चयन समिति द्वारा निविदा में शामिल संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों/साक्ष्यों के आलोक में निम्न मूल्यांकन मानदंडों में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाली संस्था को कार्य–आदेश निर्गत किया जाएगा :–

क्र0	मानदंड	निर्धारित दस्तावेज	अंक
1	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–51 के तहत राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय के तहत निबंधन ।	निबंधन प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति	–
	संस्था की निबंधन अवधि 5–7 वर्ष होने पर	–	5
	संस्था की निबंधन अवधि 7–10 वर्ष होने पर	–	7
	संस्था की निबंधन अवधि 10 वर्ष से अधिक होने पर	–	10
2	भारत सरकार के नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर अनिवार्य रूप से निबंधन ।	निबंधन संबंधित प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति	
	संस्था की निबंधन अवधि 5–7 वर्ष होने पर	–	5
	संस्था की निबंधन अवधि 7–10 वर्ष होने पर	–	7
	संस्था की निबंधन अवधि 10 वर्ष से अधिक होने पर	–	10
3	संस्था का विगत तीन वित्तीय वर्षों का औसत कारोबार न्यूनतम 1 करोड़ का हो।	वार्षिक प्रतिवेदन / आयकर रिटर्न्स / अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति	–
	संस्था का औसत कारोबार 1–2 करोड़ का होने पर	–	5
	संस्था का औसत कारोबार 2–3 करोड का होने पर	–	7
	संस्था का औसत कारोबार 3 करोड से अधिक का होने पर	–	10
4	मानसिक दिव्यांगता के क्षेत्र में विशेष गृह/ संस्था संचालन का कार्यानुभव।	अनुभव संबंधित प्रमाण–पत्र की प्रति	–
	मानसिक दिव्यांगता के क्षेत्र में 1 वर्ष का कार्यानुभव होने पर	–	5
	मानसिक दिव्यांगता के क्षेत्र में 2 वर्ष का कार्यानुभव होने पर	–	7
	मानसिक दिव्यांगता के क्षेत्र में 3 वर्ष या अधिक का कार्यानुभव होने पर	–	10
5	संस्था के Governing Body के सदस्यों की संख्या (न्यूनतम 07)	सदस्यों की विवरणी से संबंधित दस्तावेज ।	–
	सदस्यों की संख्या 7 से 10 होने पर	–	5
	सदस्यों की संख्या 11 से 15 होने पर	–	7
	सदस्यों की संख्या 16 या उससे अधिक होने पर	–	10
6	संस्था के पास अपना मकान होने पर	मकान का अक्षांशीय एवं	5

क्र0	मानदंड	निर्धारित दस्तावेज	अंक
		देशांतरीय विवरणी	
7	विगत वर्षो में केन्द्र / राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त होने पर	अनुदान प्राप्ति का प्रमाण	5
		अधिकतम (कुल अंक) :–	**60**

नोटः– विभागीय चयन समिति आवश्यकतानुसार सभी आवेदकों को प्रस्तुतिकरण हेतु आमंत्रित करने के संबंध में निर्णय ले सकती है।

ii. चयनित संस्था एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना के बीच मानसिक रूप से विक्षिप्त/रूग्ण महिलाओं एवं बालिकाओं तथा पुरूषों हेतु विशेष आवासीय गृह "आसरा" के संचालन के लिए संबंधित मार्गदर्शिका के अनुरूप एकरारनामा किया जायेगा। एकरारनामा की शर्त्तों में, अभिरूचि की अभिव्यक्ति में उल्लिखित शर्त्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें भी समाहित की जा सकती हैं।

(7) गृह संचालन हेतु वार्षिक प्रावधानित राशि :– 50 आवासिनों के क्षमता वाले प्रत्येक आसरा गृह के संचालन हेतु आवर्ती मद में कुल वार्षिक प्रावधानित राशि रू0 69,18,000/– (उनहत्तर लाख अठारह हजार) निर्धारित है (विभागीय पत्रांक–56 दिनांक–06.09.2019 के माध्यम से अन्य आवर्ती मद में किये गए संशोधन के साथ) तथा समाज कल्याण विभाग के संकल्प सं0–2339 दिनांक–30.11.2017 में निहित प्रावधानों के अनुसार उक्त राशि में राज्य सरकार एवं संचालक गैर सरकारी संस्थान का अनुपातिक अंशदान 90:10 होगा। उक्त के आलोक में प्रत्येक आसरा गृह के संचालन हेतु **चयनित संस्था को आवर्ती मद के रूप में प्रतिवर्ष 62,26,200/–(बासठ लाख छब्बीस हजार दो सौ) राशि प्रदान की जाएगी।** प्रत्येक आसरा गृह के संचालन हेतु अनावर्ती मद में कुल रू0 9,60,000/– (नौ लाख साठ हजार) मात्र की राशि का प्रावधान है। इससे संबंधित मदवार विवरणी **अनुसूची–1** के रूप में संलग्न है।

आसरा गृह के संचालन हेतु जरूरी आधारभूत संरचनाएँ एवं सामग्री, यथा–बेड–बिस्तर, कार्यालय फर्नीचर, बर्तन, पंखा, बल्ब, कार्यालय उपस्कर इत्यादि संबंधित जिले के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके रख–रखाव की जिम्मेवारी संबंधित संस्था की होगी। गृह संचालन के दायित्व से मुक्त होने पर संस्था को उसी स्थिति में इसे संबंधित जिले के सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग को सुपुर्द करना होगा।

(8) चयनित संस्था को आसरा गृह के हितार्थ वैसे कार्य भी (बिना अतिरिक्त राशि की माँग किये हुए) करने होंगे जो इस अभिरूचि की अभिव्यक्ति या एकरारनामा में उल्लेख करना छूट गये हों। इस संबंध में निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना का निर्णय अंतिम होगा।

(9) अभिरूचि की अभिव्यक्ति में वर्णित शर्त्तें यद्यपि यथावत रहेंगी किन्तु दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, पटना यदि आवश्यक हो तो नियम और शर्तों में संशोधन करने का अधिकार बिना कारण बताये सर्वथा सुरक्षित रखता है।

06/10/26

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना।

अनुसूची–1

कर्मियों की विवरणी / मानदेय

आवर्तक व्ययः–

क्र	पदनाम	प्रति गृह पदों की संख्या	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	वर्तमान मासिक मानदेय का दर	वार्षिक व्यय (राशि रूपये में)
1	अधीक्षक (प्रभारी)	1	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष	i. स्नातकोत्तर / मनोविज्ञान / समाजशास्त्र अथवा ii. बैचलर इन मेंटल रिटारडेशन अथवा iii. मानसिक मंदता में बी0एड0 / डिप्लोमा	अधीक्षका / समकक्ष के पद पर क्रमांक i एवं ii के लिए न्यूनतम 3 वर्ष एवं क्रमांक iii के लिए न्यूनतम 5 वर्षो का अनुभव।	25,000	300,000
2	कॉउन्सलर	1	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष	i. स्नातकोत्तर समाजशास्त्र / मनोविज्ञान / अथवा ii. बैचलर इन मेंटल रिटारडेशन अथवा iii. मानसिक मंदता में बी0एड0 iv. पी0जी0 डिप्लोमा (क्लीनिकल साइकोलॉजी)	क्रमांक i, ii एवं iii के लिए न्यूनतम 3 वर्ष एवं क्रमांक iv के लिए न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव।	17,500	210,000
3	परिवीक्षा अधिकारी / बाल कल्याण अधिकारी / मामला कार्यकर्त्ता (प्रोबेशन ऑफिसर)	1	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष	i. स्नातकोत्तर / मनोविज्ञान / समाजशास्त्र अथवा ii. बैचलर इन मेंटल रिटारडेशन अथवा iii. मानसिक मंदता में बी0एड0 अनुभव	परिवीक्षा अधिकारी से संबंधित कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्षो का अनुभव	17,500	210,000
4	गृहमाता (हाउस मदर) / केयर टेकर	2	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष	i. स्नातक (प्रतिष्ठा) / मनोविज्ञान / समाजशास्त्र	गृहपति से संबंधित कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्षो का अनुभव	11,000	264,000
5	स्पेशल एजुकेटर (शिक्षक)	2	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष	i. स्पेशल एजुकेशन (एम0आर0 में बी0एड0) अथवा ii. स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा	क्रमांक i निःशक्त बच्चों / व्यक्तियों के साथ कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्षो का कार्य अनुभव एवं क्रमांक ii में 5 वर्षो का अनुभव	17,500	420,000

6	औक्यूपेशनल थैरेपिस्ट	2	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष	i. औक्यूपेशनल थैरेपिस्ट में स्नातक ii. औक्यूपेशनल में डिप्लोमा	क्रमांक i के लिए 2 वर्ष एवं ii के लिए 5 वर्षो का अनुभव	17,500	420,000
7	चिकित्सक (अंशकालीन)– सप्ताह में कम से कम 03 विजिट	1	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष	मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से एम0बी0बी0एस0 की डिग्री	3 वर्षो का कार्य का अनुभव	12,000	144,000
8	मनोचिकित्सक (अंशकालीन) – सप्ताह में 02 दिन विजिट	1	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष	मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से मनोचिकित्सा में स्नातकोत्तर (MD) / डिप्लोमा (DPM)	MD में एक वर्ष का एवं DPM में 2 वर्षो का कार्य का अनुभव	16,000	192,000
9	ए0एन0एम0	1	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष	मान्यता प्राप्त नर्सिंग में (जी0एन0एम0) डिपलोमा	किसी सरकारी अथवा Indian Nursing Council मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा नर्सिग क्षेत्र में कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र	12,000	144,000
10	लेखापाल–सह – भंडारपाल	1	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष	B. Com की डिग्री	लेखा क्षेत्र में कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव । कम्प्यूटर का ज्ञान	15,000	180,000
11	हाउस मेड (दाई)	4	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष	मैट्रिक उत्तीर्ण	संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का 3 वर्षो का अनुभव	7,500	360,000
12	रसोईया	1	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष	मैट्रिक उत्तीर्ण	खाना बनाने का 3 वर्षो का अनुभव	7,500	90,000
13	हेल्पर	2	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष	मैट्रिक उत्तीर्ण खाना बनाने का 3 वर्षे काअनुभव	खाना बनाने एवं महिलाओं,बालिकाओं के दिख–रेख कार्य का 3 वर्षो का अनुभव	6,000	144,000
14	सुरक्षा प्रहरी	3	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष	मैट्रिक उत्तीर्ण	संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का 3 वर्षो का अनुभव	7,500	270,000
15	अनुसेवक	2	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष	मैट्रिक उत्तीर्ण	संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का 3 वर्षो का अनुभव	7,500	180,000
16	घोबी	–	–	–	–	-	-
	कुल योग–	**25**	**–**	**–**	**–**	**1,97,000**	**35,28,000**

अन्य आवर्ती व्यय

क्र0	विवरणी	मासिक व्यय (50 संवासिनों हेतु)	कुल वार्षिक व्यय (वर्तमान मे)
1	मकान किराया	75,000	9,00,000
2	जल एवं बिजली प्रभार	10,000	120,000
3	आकस्मिक व्यय	-	2,50,000
4	अनुरक्षण (भोजन के लिए–2300/– प्रति लाभुक तथा वस्त्र, दवा, साबुन, तेल आदि हेतु–750/– अर्थात कुल–3050/– राशि प्रतिमाह)	3050*50= 1,52,500	18,30,000
5	बिस्तर हेतु (मैट्रेस, चादर, तकिया, कम्बल आदि सहित 1200/– प्रति लाभुक प्रति वर्ष)	100*50= 5,000	60,000
6	विविध (आउटिंग, मैग्जीन, लाईब्रेरी के लिए किताबें, स्टोर इक्विपमेंट आदि हेतु)	5,000	60,000
7	परिवहन		80,000
8	कर्मियों हेतु परिवहन		10,000
9	प्रशासनिक खर्च (टेलिविजन, इंटरनेट, फैक्स, डिजल आदि)		30,000
10	प्रोफेशनल ट्रेनिंग/कल्चरल प्रोग्राम/स्किल डेवलपमेंट हेतु	–	50,000
		योगः–	33,90,000

प्रत्येक आसरा गृह हेतु कुल वार्षिक आवर्ती व्यय

आवर्ती व्यय (कर्मियों का मानदेय)	35,28,000
अन्य आवर्ती व्यय	33,90,000
कुल योग	69,18,000
राज्य सरकार का अंशदान (90%)	**62,26,200**
गैर सरकारी संस्था का अंशदान (10%)	6,91,800

अनावर्ती व्यय

क्र0	विवरणी	इकाई	प्रति इकाई की कीमत	कुल राशि
1	महिलाओ/ बालिकाओं एवं पुरूषों के लिए 50 बेड हेतु कबर्ड / स्टील लॉकर, खाने तथा कक्षाओं, तथा गृह स्टाफ के लिए मेज एवं कुर्सियों तथा स्टॉफ के लिए कबर्ड, बिजली से संबंधित अन्य उपयोगी समाग्री इत्यादि।	50	-	7,35,000
2	यू0 पी0 एस0 सहित 2 कम्प्यूटर तथा एक प्रिटर –सह स्कैनर	2+1	30,000	90,000
3	2 टेलीविजन (26 बालिकाओं के लिए)।	2	30,000	60,000
4	रसोई घर के लिए उपकरण (कनेक्शन सहित गैस, स्टोव ,बर्तन,फिल्टर इत्यादि)।	-	-	75,000
			योगः–	9,60,000

नोटः– आवर्ती/अनावर्ती व्यय के संबंध में दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग द्वारा समय–समय पर लिए गए निर्णय/भावी निर्णय प्रभावी होगें।

06/11/26

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना।